भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आर बी ई सं.172/2004

सं. ई (पी एंड ए)I-2002/आर टी-1 नई दिल्ली, दिनांक : 04-08-2004

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां.
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय : अधिशेष रेल कर्मचारियों के लिए विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना.

अधिशेष घोषित किए गए सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 28.2.2002 के कार्यालय ज्ञापन सं. 25013/6/2001 ईस्ट (ए) के तहत शुरू की गई विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना काफी समय से रेल मंत्रालय के विचाराधीन थी। राष्ट्रपति जी रेलों के उन स्थायी ग्रुप 'सी' तथा 'डी' कर्मचारियों के लिए एक ऐसी ही विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना निम्नलिखित अनुबंधों के अध्यधीन सहर्ष शुरू करते हैं जिन्हें अधिशेष (चिकित्सा की दृष्टि से विकोटिकृत अथवा अन्यथा) घोषित किया गया है और जिन्हें किसी अधिसंख्य पद पर रखा गया है और जिनकी पुनर्तैनाती उस रेलवे उत्पादन इकाई में नहीं की जा सकती और जिनकी 5 वर्ष से अधिक की सेवा बाकी है:-

(क) कर्मचारी अधिशेष घोषित किए जाने तथा किसी अधिसंख्य पद पर रखे जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के बाद विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना के लिए नोटिस देने के पात्र होंगे।

(ख) रेलवे/उत्पादन इकाई की गणना वैकल्पिक रोजगार मुहैया कराने के प्रयोजन के लिए उस इकाई के रूप में की जाएगी।

(ग) उस रेलवे/उत्पादन इकाई का मुख्य कार्मिक अधिकारी वैकल्पिक रोजगार के अवसर की अनुपलब्धता प्रमाणित करेगा जो उस कर्मचारी के इस विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृति आवेदन पत्र की स्वीकृति के लिए पूर्व शर्त होगी।

2. विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना की विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

(i) इस योजना के लिए केवल वे कर्मचारी विकल्प दे सकते हैं जिनकी उपर्युक्त कोटियों में 5 वर्ष से अधिक की सेवा शेष है।

(ii) विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृति-योजना का विकल्प देने वाला कर्मचारी पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 35 दिन और शेष रही सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 25 दिन के आधार पर आंके गए दिनों की संख्या के लिए मूल वेतन जमा महँगाई भत्ते के बराबर अनुग्रह-धनराशि पाने का हकदार होगा। अनुग्रह-धनराशि हेतु वर्ष में किसी भी समय दिनों की संख्या प्रति वर्ष 365 के आधार पर गिनी जाएगी। इसके अतिरिक्त, अनुग्रह-धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी:-

(क) अनुग्रह-धनराशि के भुगतान की दृष्टि से गणना किए जाने वाले वर्षों की कुल संख्या 33 वर्ष से अधिक नहीं होगी;

(ख) अनुग्रह-धनराशि की गणना के प्रयोजन के लिए अतिरिक्त सेवा का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा;

(ग) अनुग्रह-धनराशि की न्यूनतम सीमा 25,000/- रुपए अथवा 250 दिन की परिलब्धियों में से, जो भी अधिक हो, रहेगी;

(घ) अनुग्रह-धनराशि, अधिवर्षिता की आयु से पूर्व शेष रही सेवा की अवधि के संबंध में कर्मचारी द्वारा अपने पद और वेतनमान के मौजूदा स्तर पर प्राप्त किए जाने वाले मूल वेतन और महँगाई भत्ते के जोड़ से अधिक नहीं होगी;

(च) अनुग्रह-धनराशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा;

(छ) 5.00 लाख रुपए तक की अनुग्रह-धनराशि आयकर से मुक्त रखी जाएगी;

(iii) ऐसे स्थायी अधिशेष किए गए रेल कर्मचारियों तथा चिकित्सा की दृष्टि से विकोटिकृत कर्मचारियों को जिन्होंने अधिशेष/चिकित्सा की दृष्टि से विकाटिकृत घोषित किए जाने की तारीख तक न्यूनतम 15 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है, उन्हें रेल सेवक (पेंशन) नियम, 1993 के अंतर्गत अर्हक सेवा में 5 वर्ष का लाभ दिया जाएगा। तथापि रेल सेवक (पेंशन) नियम, 1993 के

नियम 68 में किए गए प्रावधान के अनुसार, उपर्युक्त सेवा लाभ जोड़े जाने के बाद अर्हक सेवा की अवधि उस सेवावधि से अधिक नहीं होनी चाहिए जो उसने अपनी अधिवर्षिता की तारीख पर सेवानिवृत्त होने पर की होती.

(iv) सेवा मुक्त होने की तारीख को संचित अर्जित अवकाश का रेल सेवक (उदारीकृत छुट्टी) नियम 1949 के अनुसार नकदीकरण.

(v) रेल-कर्मचारी-समूह-बीमा-योजना में बचत अंश का, नियमों के अनुसार ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा.

(vi) सेवानिवृति पर कर्मचारी को अपने परिवार सहित भारत में कहीं भी बसने देने हेतु यात्रा भत्ता नियम के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिया जाएगा.

3. चिकित्सा की दृष्टि से विकोटिकृत अधिशेष रेल कर्मचारियों तथा स्वैच्छिक सेवानिवृति का विकल्प देने वाले कर्मचारियों को अनुग्रह-धनराशि का भुगतान, रेल सेवक (पेंशन) नियम, 1993 के अंतर्गत सामान्य सेवानिवृति हकदारियों के अतिरिक्त किया जाएगा।

4. स्वैच्छिक सेवानिवृति के प्रत्येक मामले के आदेश में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाए कि सेवानिवृत होने वाले पद धारक द्वारा धारित अधिशेष पद/अधिसंख्य पद उस कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृति की तारीख से समाप्त हो जाएगा।

5. स्थायी ग्रुप 'सी' तथा 'डी' रेल कर्मचारी अधिशेष घोषित (चिकित्सा की दृष्टि से विकोटिकृत अथवा अन्यथा) किए जाने और अधिसंख्य पद में रखे जाने की तारीख से एक वर्ष के बाद, तीन माह के भीतर विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना का विकल्प दे सकते हैं। वे कर्मचारी जिन्हें इन अनुदेशों को जारी करने से पूर्व ही अधिशेष (चिकित्सा की दृष्टि से विकोटिकृत अथवा अन्यथा) घोषित किया जा चुका है, वे भी इस पत्र के जारी होने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना का विकल्प दे सकते हैं बशर्ते वे एक वर्ष से अधिक समय से किसी अधिसंख्य पद पर कार्यरत हों।

6. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

7. सभी रेलों/उत्पादन इकाइयों से अनुरोध है कि वे रेलवे पत्र-पत्रिकाओं, नोटिस बोर्डो आदि के माध्यम से इस योजना का व्यापक प्रचार करें।

8. कृपया पावती दें।

04/8/04
(प्रभात गोयल)
निदेशक वेतन आयोग
रेलवे बोर्ड

सं. ई (पी एंड ए)I-2002/आर टी-1 नई दिल्ली, दिनांक : 04-08-2004

प्रतिलिपि विस एवं मुलेधि, सभी भारतीय रेलों तथा उत्पादन इकाइयों आदि को अग्रेषित.

04/8/04
(प्रभात गोयल)
निदेशक वेतन आयोग
रेलवे बोर्ड

सं. ई (पी एंड ए)I-2002/आर टी-1 नई दिल्ली, दिनांक 04-08-2004

1. प्रमुख निदेशक लेखा परीक्षा (रेल) (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
2. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेल) कमरा नं. 224, रेल भवन.

(एस. श्रीराम)
कृते वित्त आयुक्त/रेल

सं. ई (पी एंड ए)I-2002/आर टी-1 नई दिल्ली, दिनांक : 04-08-2004

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. महासचिव, ए आई आर एफ, 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
2. महासचिव, एन एफ आई आर, 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
3. महासचिव, आई आर पी ओ एफ (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
4. राष्ट्रीय परिषद तथा विभागीय परिषद के सदस्य तथा कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद के सचिव, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
5. महासचिव, फ्रोआ, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6. महासचिव, रे.सु.ब. संघ, कमरा नं. 549, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
7. सचिव, आर बी एस एस, ग्रुप 'ए' आफिसर एसोसिएशन (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
8. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास-II आफिसर्स एसोसिएशन (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
9. अध्यक्ष, भारतीय रेल क्लास-II आफिसर्स एसोसिएशन (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
10. सचिव, रेलवे बोर्ड लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
11. सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास-IV एसोसिएशन (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

*****

RBE No. 172/ 2004.

No.E(P&A)I-2002/RT-1 New Delhi, dated 04.08.2004.

The General Managers/CAOs,
All Indian Railways & Production Units etc. (As per standard mailing list)

Sub: Special Voluntary Retirement Scheme for Surplus Railway Employees.

****

The Special Voluntary Retirement Scheme introduced by the Department of Personnel & Training vide their OM No. 25013/6/2001 Estt.(A) dated 28.02.2002 for Government employees declared surplus, was under consideration of the Ministry of Railways for quite some time. The president is pleased to introduce a similar **Special Voluntary Retirement Scheme (SVRS)** for permanent Group 'C' and 'D' employees of the Railways who have been declared surplus (medically decategorised or otherwise) and placed in a supernumerary post and who cannot be redeployed within the Railway/Production Unit and have more than five years of residual service, subject to the following stipulations:-

(a) Employees would be eligible to give notice for **Special Voluntary Retirement Scheme** after a period of one year from the date he/she is declared surplus and placed in a supernumerary post.

(b) Railway/Production Unit would be reckoned as the unit for the purpose of providing alternative employment.

(c) CPO of the Railway/Production Unit would certify non-availability of avenue of alternative employment, which would constitute a precondition for acceptance of the Special Voluntary Retirement application of the employee.

2. The features of the **Special Voluntary Retirement Scheme** are as under:-

(i) Only those employees, having more than 5 year of residual service in the above mentioned categories may opt for the Scheme.

(ii) An optee of Special VRS will be entitled to receive an ex-gratia amount equal to basic pay plus dearness allowance for the number of days worked out on the basis of length of service @ 35 days for each completed year and 25 days for each remaining year. For any part of a year, the

contd.....2/-

number of days, for ex-gratia amount, will be worked out on the basis of 365 days in a year. The ex-gratia amount will be further subject to the following conditions:-

(a) Total number of years to be counted for payment of ex-gratia will not exceed 33 years;
(b) No weightage of additional service will be given for the purpose of calculation of ex-gratia;
(c) The ex-gratia will be subject to a minimum of Rs.25,000/- or 250 days emoluments, whichever is higher;
(d) The ex-gratia amount should not exceed the sum of the basic pay plus DA that the employee would draw at the prevailing level for the balance of the period of service left before superannuation;
(e) The ex-gratia amount will be paid in lump-sum;
(f) The ex-gratia amount upto Rs.5.00 lakhs will be exempted from Income Tax.

(iii) A weightage of five years to the qualifying service shall be given under Railway Services (Pension) Rules, 1993 to such permanent surplus Railway employees and medically decategorised employees who have rendered a minimum of 15 years of qualifying service on the date they are declared surplus/medically decategorised. However, as provided in Rule 68 of Railway Services (Pension) Rules, 1993 the qualifying length of service after taking into account the aforesaid weightage should not be more than the service he/she would have rendered had he/she retired on the date of his/her superannuation;

(iv) Encashment of unutilised Leave on Average Pay accumulated on the date of relief as per the Railway Services (Liberalized Leave) Rules, 1949;

(v) Payment of savings element with interest in the Railway Employees Group Insurance Scheme as per rules;

(vi) TA/DA as on retirement for self and family for settling anywhere in India as per Travelling Allowance Rules.

3. Payment of ex-gratia to the Railway employees declared surplus/medically decategorised and opting for the Special VRS will be over and above the normal retirement entitlement under Railway Services (Pension) Rules, 1993.

4. The order of voluntary retirement in each case should clearly stipulate that the surplus/supernumerary post held by the retiring incumbent will stand abolished from the date of his/her voluntary retirement.

contd.....3/-

5. The permanent Group 'C' and 'D' Railway employees can exercise the option for SVRS, within three months, after a period of one year from the date he/she has been declared surplus (medically decategorised or otherwise) and placed in a supernumerary post. Employees who have already been declared surplus (medically decategorised or otherwise) prior to issue of these instructions can also exercise the option for SVRS within a period of three months from the date of issue of this letter, provided they have been working against supernumerary post for more than one year.

6. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

7. All the Railways/Production Units are requested to give wide publicity to this scheme through Railway gazettes, Notice Boards etc.

8. Kindly acknowledge receipt.

04/8/04
(P.K. GOEL)
Director Pay Commission
Railway Board

No. E(P&A)I-2002/RT-1 New Delhi. dated 04.08.2004.

Copy forwarded to FA&CAOs, All Indian Railways & Production Units etc.

04/8/04
(P.K. GOEL)
Director Pay Commission
Railway Board

No. E(P&A)I-2002/RT-1 New Delhi. dated 04.08.2004.

Copy to: 1. The Principal Director of Audit (Railways) (with 40 spares), New Delhi.
2. The Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhawan.

4/8/2004
for Financial Commissioner, Railways.

No. E(P&A)I-2002/RT-1 New Delhi. dated 04.08.2004.

Copy forwarded to :-

1. The General Secretary, NFIR (with 35 spares).
2. The General Secretary, AIRF (with 35 spares).

Contd....4/-

3. The Members of the National Council Departmental Council and Secretary, Staff Side , National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi(with 90 spares).
4. The Secretary General FROA.
5. The Secretary, RBSS, Group 'A' Officer Association.
6. The President, Railway Board Class II Officers' Association.
7. The Secretary General, IRPOF.
8. The President, Indian Railway Class II Officer Association.
9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
10. The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association
11. The Secretary General, AIRPF Association.

for Secretary, Railway Board.

Copy to : SrPPSs/PPSs/PSs/PAs to :- MR, MSR(V), MSR(N).

CRB, FC, ME, ML, MM, MS, MT, AM(B), AM(CE), AM(C), AM(C&IS), AM(Elec), AM(F), AM(Plg), AM(Projects), Advisor(Staff), AM(Sig), AM(MS), AM(Mech.), AM(PU), AM(RS), AM(T&C), AM(Telecom), AM(T), AM(Vig), AM(Works), Adv(F), Adv(IR), DG/RHS, DG/RPF, Secretary., ED(Plg.), ED(A), EDF(BC), EDCE(B&S), EDCE(G), EDCE(Plg.), ED(Chg.), ED(CC), ED(C&IS), ED(E&R), EDEE(Dev.), EDEE(G), EDEE(RS), EDE,EDE(RRB), EDE(N), EDE(Res.), EDF(C), EDF(E), EDF(S), EDF(B), EDF(RM), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), ED(LM), ED(MIS), EDE(GC), EDT(MPP), EDME(Chg.), EDME(FR), EDME(Tr.), EDME(TOT), EDME(Dev.), EDME(W), EDPC-I, ED(Plg.), ED(PP), ED(Proj.), ED(Proj.)-DMRC, ED(RE), EDRE(S&T), EDRE(S), ED(Safety), ED(Sig.), ED(S&E), EDRS(C), EDRS(G), EDRS(P), EDRS(S), EDRS(W), ED(TD), EDTrack(M), EDTrack(MC), EDTrack(P), ED(T&C), ED(CP), ED(PM), ED(PG), EDT(R), EDTC(FM), EDTT(M), EDTT(FM), EDTT(M), EDTT(S), EDV(A), EDV(E), EDV(S), EDV(T), ED(W), IG/RPF(HQs), IG/RS, JS, JS(C), JS(D), JS(E), JS(G), JS(P), DPC-I, DPC-II, DE(N), DF(A/Cs), DE(G), DE(N), DPR, JDE(G), JDE(D&A), JDE(P&A), JDE(L), JDE(LL), JDE(W), JDF(B), JDE(N), JDF(E), JDE(Res.), DS(G), DS(Parl.), US(A), PAO, DDE(LR)I, DDF(E)I, DDF(E)II, DDF(E)III, DDE(R)II (with 2 spares).

Branches : A/cs.-III(with 10 spares), Budget, Budget(Com)I, Cash-I, Cash-II, Cash-III, Chasing, E(P&A)I, ERB-I, ERB-II, ERB-III, ERB-IV, ERB-V, ERB(D), E(LR)I, E(LR)II, E(LR)III, E(NG)I, E(NG)II, E(RRB), E(Rep)I, E(Rep)II, E(Rep)III, E(MPP), E(Welfare), E(G), E(Coop), E(LL),E(Sports),E(ML), E(SCT), E(D&A), E(GC), E(GR)I, E(GR)II, E(O)I, E(O)II, E(O)III, F(E)I, F(E)II, F(E)III, F(E)Spl, G(Pass), G(Acc), Issue(D), M(L), Parl., PC-III, PC-IV, PC-V, Project Cell, PR, PG, Sec(E) & Sec(ABE).

*****